

ADMISSION NOTICE

फॉर्म वितरण का समय प्रातः 9:00 बजे से अपरहान 1:00 बजे तक (कार्य दिवस पर)

A FEW SEATS ARE VACANT FOR OFF LINE ADMISSION IN CLASS IInd AND ONWARD .DETAILS OF CLASS WISE VACANT SEATS ARE GIVEN BELOW:

CLASS	NO OF VACANCIES
II	10
III	06
IV	04
V	03

NOTE : 1.These vancancies are tentetive,it may be change (increase orDECREASE) any time.

2.Admission will be provided on the PRIORITY BASIS under the ADMISSION GUIDELINE 2019 OF KVS NEW DELHI.

3.MERE filling an application form for admission may not claim for admission.

4.Application forms for above classes will be distributed as well as submitted from 03/04/2019 during school hours.

5.Last date of submission of admission forms for the above classes is 09/04/2019.up to 02 : pm

6.List of shortlisted candidates for provisonal admission in class ii to v will be published on 12/04/2019 onward.

7. Provisional Admission for the above class will takes place between 12/04/2019 to 20/04/2019.

LIST OF DOCUMENTS SHOULD BE ATTACHED ALONGWITH APPLICATION FORM

01. बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र- प्रथम श्रेणी न्यायाधीश/रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु/ नगर पालिका/ नव निर्गम /जिला पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।कुटुंब रजिस्टर की सत्यापित प्रति एवं सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र भी मान्य/सैन्य सेवाओं के लिए सेना अस्पताल (MH) से जारी प्रमाण-पत्र।
 02. बच्चे का जाति प्रमाण-पत्र/अभिभावक का जाति प्रमाण-पत्र -सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत (केवल अनुसूचित/अनुसूचित जन-जाति/पिछड़ी जाति हेतु)।
 03. निवास प्रमाण-पत्र - सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत
 04. आय प्रमाण-पत्र - आर्थिक एवं सामाजिक कमजोर वर्ग के लिए (EWS/BPL) इत्यादि के लिए - सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र
 05. दिव्यांग (Differently Abled) के लिए:- जिला के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र (40%)
 06. वरीयता सूची (सेवा प्राथमिकता सूची) हेतु:- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवा प्रमाण-पत्र जिसमें नाम, पदनाम, पिता का नाम , सेवा का प्रकार (नियमित/स्थायी) कर्मचारी संख्या, इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा कर्मचारी का फोटो सहित Transfer का विवरण इत्यादि प्रमाणित हो।
 07. विद्यालय से प्रवेशार्थी के आवास की दूरी का प्रमाण-पत्र
 08. उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्य होने सम्बन्धी बयानहल्फी
- नोट :1. उपरोक्त वर्णित आवश्यक प्रमाणपत्रों के अभाव अथवा उनके अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण होने की दशा में केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रवेश मार्गदर्शिका 2019-20 के अनुपालन में,विद्यालय प्रवेश समिति एवं विद्यालय प्रशासन ऐसे अभ्यर्थी का प्रवेश अभ्यर्थन निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा ।
2. समस्त प्रवेश प्रक्रिया केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रवेश मार्गदर्शिका 2019-20 के अनुबंधों के अधीन उपरोक्त वर्णित प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर ही आधारित एवं मान्य होगी एवं इसी आधार पर औपबन्धिक (provisional) प्रवेश, प्रवेशसूची से होंगे ।